न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/215
मुकदमा नम्बर 53/2025 दर्ज दिनांक– 30.04.2025

चैन कंवर पुत्री ईश्वर सिंह पत्नी श्री दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ, जिला झुझुनू हाल आबाद डाबडा मोलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर।

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री विनोद सिंह शेखावत
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 16.05.2025

प्रार्थी द्वारा स्वंय उपस्थित हो एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की तन में भूमि खाता सं. 706 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 317 रकबा 0.42 है0, खसरा नं. 318 रकबा 0.57 है0, खसरा नं. 319 रकबा 0.31 है0 ,खसरा नं. 320 रकबा 0.43 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है0 के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम भंवर कंवर पुत्री ईश्वर सिंह की जगह चैन कंवर पुत्री ईश्वर सिंह दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदक की जारी की गई। तहसीलदार नवलगढ की और से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट कमांक भू.अ./2025/ 7767 दिनांक 14.05.2025 पेश की गई। वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्रों के सम्बन्ध में चैन कंवर व व गोपाल सिंह के शपथ पत्र बतौर साक्ष्य पेश किये।

बहस उभय पक्ष पेश होने पर बगोर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट, तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की तन में भूमि खाता सं. 706 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 317 रकबा 0.42 है0, खसरा नं. 318 रकबा 0.57 है0, खसरा नं. 319 रकबा 0.31 है0 ,खसरा नं. 320 रकबा 0.43 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है0 के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम भंवर कंवर पुत्री ईश्वर सिंह की जगह चैन कंवर पुत्री ईश्वर सिंह दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू